क्रमांकः

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

नवीनतम पास पोर्ट साईज फोटो चस्पा करे।

स्टेपल न करे

छात्रावास प्रवेश आवेदन पत्र

(नोट–आवेदन पत्र अपूर्ण न छोड़े। अपूर्ण आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।)

1. छात्र/छात्रा का नाम (हिन्दी में) : ....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):																												

2. पिता का नाम (हिन्दी में) : ....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):																												

3. माता का नाम (हिन्दी में) : ....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):																												

4. कक्षा : ....
5. स्थायी पता (हिन्दी में) (वर्तमान निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें) : ....

....

राज्य :..............................जिला : ....थाना :..............................

तहसील :..............................पिन कोड :..............................

6. स्थानीय अभिभावक का नाम : ....सम्बन्ध : ....
7. स्थानीय पता : ....

राज्य :..............................जिला : ....थाना :..............................

तहसील :..............................पिन कोड :..............................

8. जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करे)	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ी जाति		सामान्य	

9. मोबाइल नं0 (छात्र/छात्रा)											मोबाइल नं0 (पिता/अभिभावक)										

10. आधार कार्ड नं0												

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर

(कार्यालय द्वारा भरा जाय)

1. छात्रावास शुल्क जमा करने की रसीद संख्या : ....
2. छात्रावास शुल्क जमा करने की तिथि :..............................
3. छात्रावास का नाम : ....
4. आवंटित कक्ष संख्या : ....

कार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर | गृहपति के हस्ताक्षर | मुख्य गृहपति के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष की संस्तुति

श्री/सुश्री/श्रीमती...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..

कक्षा ....खण्ड .... का विभाग में प्रवेश हो चुका है। मेरी संस्तुति है कि इनको छात्रावास में प्रवेश दिया जा सकता है।

प्रवेश शुल्क रसीद संख्या ....

दिनांक ....

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

मुहर

कुलानुशासक की संस्तुति

श्री/सुश्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....

कक्षा .... खण्ड.. का आचरण सन्तोषजनक है। मेरी संस्तुति है कि इनको छात्रावास में प्रवेश दिया जा सकता है।

दिनांक ....

कुलानुशासक के हस्ताक्षर

मुहर

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

नवीनतम पास पोर्ट साईज फोटो चस्पा करे।

स्टेपल न करे

(मुख्य विनयाधिकारी कार्यालय हेतु)

1. छात्र/छात्रा का नाम (हिन्दी में) : ....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):																												

2. पिता का नाम (हिन्दी में) : ....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):																												

3. माता का नाम (हिन्दी में) : ....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):																												

4. कक्षा : ....

5. स्थायी पता (हिन्दी में) : ....

राज्य :....................................जिला : ....थाना :....................................

तहसील :....................................पिन कोड :....................................

6. स्थानीय अभिभावक का नाम : ....सम्बन्ध : ....

7. स्थानीय पता : ....

राज्य :....................................जिला : ....थाना :....................................

तहसील :....................................पिन कोड :....................................

8. जाति	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ी जाति		सामान्य	

9. मोबाइल नं0 (छात्र/छात्रा)											मोबाइल नं0 (पिता/अभिभावक)										

10. आधार कार्ड नं0												

11.छात्रावास का नाम ....   आवंटित कक्ष संख्या ....

कार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर

गृहपति के हस्ताक्षर

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

छात्रावास नियमावली

1. छात्रावास में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के संस्थागत छात्र/छात्रा ही रह सकते हैं। विशेष स्थिति में स्ववित्तपोषित के छात्र/छात्राओं के आवेदन पर विचार होगा।
2. छात्र/छात्रा को छात्रावास मे प्रवेश के लिए निर्धारित छात्रावास प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण एवं स्पष्ट भरकर निश्चित तिथि तक जमा करना होगा।
3. छात्रावास शुल्क आवंटन के समय ही पूरे सत्र् का एक–साथ देय होगा।
4. गृहपति को विशेष स्थिति मे बिना कारण बताये किसी छात्रावास मे रहने वाले छात्र/छात्रा का कक्ष परिवर्तन अथवा आवंटन रद्द करने का विशेषाधिकार होगा।
5. किसी शोध छात्र/छात्रा को पंजीकरण तिथि से दो वर्षो के लिए अथवा शोध प्रबंध जमा करने की तिथि तक (जो भी पहले समाप्त हो) छात्रावास मे रहने की अनुमति होगी। छात्रावास बन्द होने पर शोध छात्र/छात्रा को भी प्रत्येक वर्ष अन्य छात्रों की तरह छात्रावास खाली करना अनिवार्य होगा।
6. छात्रावास मे आवासित छात्र/छात्राओं को छात्रावास परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। परिचय पत्र प्रक्रिया छात्रावास आवंटन के समय ही पूर्ण कर ली जायेगी।
7. गृहपति की संस्तुति पर छात्र/छात्रा को केवल साईकिल रखने की अनुमति दी जा सकती है।
8. छात्रावास मे कोई भी छात्र किसी भी स्थिति मे किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र या अन्य शास्त्रास्त्र (चाहे लाइसेन्स युक्त ही क्यो न हो) नही रख सकेगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। छात्रावास के अन्दर किसी प्रकार के नशीले पदार्थ (ड्रग्स) का प्रयोग वर्जित होगा। किसी भी छात्र के कमरे मे पाये जाने पर तत्काल उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय से निष्कासन के लिए संस्तुत कर दिया जायेगा।
9. किसी भी छात्र को अपने कक्ष मे किसी भी अतिथि या संबंधी को रखने की अनुमति नही होगी। विशेष परिस्थिति मे संबंधित गृहपति की अनुमति से ही अधिकतम दो दिन तक ठहरा सकता है। बिना अनुमति के किसी भी कमरे मे कोई व्यक्ति पाया गया तो उक्त कमरे का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उससे अर्थदण्ड रूपये 200/– लिया जायेगा।
10. रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक छात्रावास का मुख्य द्वार बन्द रहेगा। इस अवधि मे गृहपति की विशेष आज्ञा से ही कोई छात्र आ जा सकेगा।
11. किसी भी छात्र के कक्ष मे बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है।
12. अवकाश और अन्य अवसरों पर घर या बाहर जाने के लिए गृहपति के अतिरिक्त मुख्य गृहपति की भी अनुमति अनिवार्य होगी तथा वापस आने पर गृहपति को सूचित करना होगा।
13. किसी भी परिस्थिति मे महिला आगन्तुक, अतिथि या संबंधी को पुरूष छात्रावासों मे तथा पुरूष आगन्तुक, अतिथि या संबंधी को महिला छात्रावास मे ठहरने की अनुमति नही होगी। इसका उल्लघंन गम्भीर दण्डनीय अनुशासनहीनता मानी जायेगी एवं उक्त छात्र/छात्रा का आवंटन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

14. प्रत्येक छात्रा को प्रतिदिन रात्रि 8:00 बजे उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करना होगा जिसका निरीक्षण प्रतिदिन गृहपति करेंगी। विशेष परिस्थिति मे उन्हे बाहर जाने की अनुमति तभी मिलेगी जब वे लिखित रूप से समुचित कारणों के आधार पर गृहपति से पूर्व अनुमति प्राप्त कर चुकी होंगी।
15. किसी भी छात्रा को कमरे में अतिथि ठहराने की अनुमति नही होगी।
16. रात्रि 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक महिला छात्रावास का मुख्य द्वार बन्द रहेगा। इस अवधि मे गृहपति की विशेष आज्ञा से ही कोई छात्रा आ जा सकेगी, आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
17. किसी भी स्थिति मे किसी भी छात्रावास मे कोई भी छात्र/छात्रा भोजन नही पका सकेगा/सकेगी और न ही प्रेस/हीटर/गैस सिलेण्डर इत्यादि का उपयोग कर सकेगा/सकेगी, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
18. अनुशासनहीनता या अनियमितता के विषय मे छात्रावासों के अधिकारियों की समिति सम्यक विचार करके निर्णय लेगी, विशेष स्थिति में मुख्य गृहपति को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. छात्रावास मे रहने वाले व्यवस्था से संबंधित छात्रावास के किसी अधिकारी या कर्मचारी से किसी प्रकार का अमर्यादित व्यवहार नही करेंगे और न ही छात्रावास के कार्यालय के क्रिया कलापो मे अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे। ऐसा करने पर दोषी छात्र के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
20. छात्रावास मे गोलबंदी करना, छात्रों को उकसाना, उपद्रव करना, तोड़–फोड़ करना, अभद्र व्यवहार करना, अश्लील भाषा एवं गाली–गलौज का प्रयोग करना सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी मे आयेगा, ऐसा करने वालें/वाली छात्र/छात्राओं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
21. भोजन शुल्क के रूप में चालू सत्र् में निर्धारित राशि एक साथ देय होगा। कर्मचारियों के भागने या आकस्मिक परिस्थिति पैदा होने पर भोजन की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
22. छात्र/छात्रा को आवंटित कक्ष में रखे गए उसके मोबाइल, लैपटॉप, पैसा अथवा अन्य निजी वस्तुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की होगी।
23. छात्रावास आवंटन हेतु होने वाली कॉउसिलिंग में अभिभावक (माता/पिता) का रहना अनिवार्य है।
24. छात्रावास आवंटन के पश्चात् यदि किसी छात्र अथवा छात्रा के विरूद्ध अनुशासनहीनता अथवा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की सूचना प्राप्त होती है तो उसका छात्रावास आवंटन निरस्त कर छात्रावास में प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

शपथ–पत्र

मुझे नियमावली की उपरोक्त सभी शर्तें पूर्ण रूप से स्वीकार हैं। मैं इनका अक्षरशः पालन करूँगा/करूँगी। विश्वविद्यालय/मुख्य गृहपति द्वारा दिये गये निर्देश पर कक्ष खाली कर दूँगा/दूँगी। मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध कभी भी कही भी अपराधिक शिकायत अथवा अनुशासनहीनता सम्बन्धी शिकायत नही की गयी है। नियमावली का अनुपालन न करने पर अथवा किसी भी तथ्य को छिपाने का दोषी पाये जाने पर विश्वविद्यालय/मुख्य गृहपति को मेरे विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अभिभावक का स्पष्ट हस्ताक्षर **छात्र/छात्रा का स्पष्ट हस्ताक्षर**

नोटः– यह नियमावली 10/– रूपये के नोटरी युक्त स्टाम्प पर देना अनिवार्य है।